

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



फैक्स Fax : 0172-2604671
दूरभाष Telephone : 2600031, 2602607
Email : phc.gdc soi@gov.in

पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र
सर्वे कॉम्प्लैक्स, दक्षिण मार्ग, सेक्टर 32-ए,
चण्डीगढ़ - 160030

Punjab, Haryana & Chandigarh. GDC,
Survey Complex, Dakshin Marg, Sector - 32 A,
Chandigarh - 160030

सं० No. प्रशा० Adm.- 1978 /37-जी-9

दिनांक- 13 अप्रैल, 2018

पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र नेमी आदेश सं० 05 दिनांक 13-04-2018

1. एम०ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन :-

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-5-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस केन्द्र के निम्नलिखित कर्मचारी को उसके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से वेतन मेट्रिक्स के लेवल में केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम व पदनाम	वित्तीय उन्नयन पर वेतन मेट्रिक्स	वित्तीय उन्नयन (MACP) की तिथि	प्राधिकार
1	श्री अवनीश कुमार शर्मा, सहायक	लेवल 7	09-01-2018	भारत के महासर्वेक्षक का दिनांक 26-03-2018 का पत्र संख्या सी-1767/1902-एम.ए.सी.पी. (मिनिस्ट्रीयल III)

- उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
- उपरोक्त कर्मचारी को अपने वेतन निर्धारण के लिए एफ०आर० 22(1)(क)(1) के तहत अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा।
- अतिरिक्त संनिहित व्यय इस केन्द्र के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा-शीर्ष के नामें डाला जाएगा ।

2 सरकारी सेवा में प्रतिधारण:-

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी को महासर्वेक्षक कार्यालय में गठित विशेष पुनरीक्षण समिति ने उनके 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर/30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया है :

क्रम सं०	नाम व पदनाम	टिप्पणी	प्राधिकार
1.	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, मानचित्रकार ग्रेड-II	30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर	भारत के महासर्वेक्षक का दिनांक 28-03-2018 का पत्र सं० सी-1940/854-आर (पंजाब जी.डी.सी.)

3. स्थानान्तरण/तैनाती

निम्नलिखित कार्मिकों ने उनके नाम के सामने दर्शाए गए विवरणानुसार स्थानान्तरण पर कार्यभार छोड़ा/ग्रहण किया :-

क्रम सं०	नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	कार्यभार छोड़ने की तिथि	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	प्राधिकार
1	श्री आर. एम. धिल्डियाल, अधीक्षक सर्वेक्षक	पंजाब हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी.	हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी.	04.04.2018 (अपराहन)	-	भारत के महासर्वेक्षक का दिनांक 21-02-2018 का पत्र सं० स्था 1-1074/701 (संग्रह-73)
2	श्री वी. कुरुपसामी, अधीक्षक सर्वेक्षक	हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी.	पंजाब हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी.	-	04.04.2018 (पूर्वाहन)	भारत के महासर्वेक्षक का दिनांक 21-02-2018 का पत्र सं० स्था 1-1074/701 (संग्रह-73)
3	श्री राजेश कांगा, सर्वेक्षण सहायक	पंजाब हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी.	राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, देहरादून	06.04.2018 (अपराहन)	-	भारत के महासर्वेक्षक का दिनांक 21-02-2018 का पत्र सं० सी-884/707 और दिनांक 23-03-2018 का पत्र सं० सी-1705/707
4	श्री राम लाल, कार्यालय अधीक्षक	पंजाब हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी.	जम्मू एवं कश्मीर जी.डी.सी.	06.04.2018 (अपराहन)	-	भारत के महासर्वेक्षक का दिनांक 28-02-2018 का पत्र सं० सी-1125/718-ए और दिनांक 27-03-2018 का पत्र सं० सी-1811/718-ए

4. निलंबन

इस केन्द्र के नेमी आदेश सं० 01 दिनांक 15-01-2018 के अंतर्गत श्री राज कँवर सिंह मलिक, सुरक्षा पर्यवेक्षक को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपील) नियमावली 1965 के नियम 10 के उपनियम (1) के अनुसार दिनांक 20-12-2017 से निलम्बित किया गया था।

भारत के महासर्वेक्षक के दिनांक 22.02.2018 के आदेश सं० विजिलेंस-942/577-मिसलेनियस के अनुसार पुनरीक्षण कमेटी की सिफारिश के अनुसार उनका निलंबन आगामी 180 दिनों के लिए अथवा उनके विरूद्ध अनुशासनिक मामले के निष्कर्ष तक जो भी पहले हो, किया जाता है।

वह गुजारा भत्ते (Subsistence Allowance) की राशि अवकाश वेतन के बराबर लेने के हकदार होंगे, जो वह आहरित करते यदि वह अर्ध-औसत-वेतन पर होते और इसके साथ महंगाई भत्ता इत्यादि, जो ऐसे अवकाश वेतन के आधार पर देय होता। वह मूल नियमावली 53(2) के अनुसार हर माह के अंत में इस बात का प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे कि इस दौरान उन्होंने कोई व्यवसाय कार्य नहीं किया।

(प्राधिकार : निदेशक, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी०डी०सी० के दिनांक 19-03-2018 के पत्र सं० सी-117/3-ए(आर. के. एस. मलिक)

(के. ए. गैवाल) ले. कर्नल
निदेशक

पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी.

वितरण: -

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून।
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी विभागीय वेबसाइट को - कृपया यह आदेश "Routine Orders & Circular" tab में प्रकाशित करें ।
4. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, जयपुर को सूचनार्थ ।
5. प्रभारी आदान अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



फैक्स Fax : 0172-2604671
दूरभाष Telephone : 2600031, 2602607
Email : phc.gdc soi@gov.in

ENGLISH VERSION

पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र
सर्वे कॉम्प्लेक्स, दक्षिण मार्ग, सेक्टर 32-ए,
चण्डीगढ़ - 160030

Punjab, Haryana & Chandigarh. GDC,
Survey Complex, Dakshin Marg, Sector - 32 A,
Chandigarh - 160030

सं० No. प्रशा० Adm.- 1978/37-G-9

Dated, दिनांक- 13 April, 2018

Punjab, Haryana & Chandigarh GDC Routine Order No. 05 Dated 13 - 04-2018

1. Financial upgradation under MACP scheme

In pursuance of the instruction contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personal & Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt. (D) dated 19-05-2009 received under Department of Science & Technology's letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009 the following person of this Centre is hereby granted **Third Financial Upgradation**, under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civil Employees in the pay Matrix Level & Date shown against his name:-

Sl. No.	Name & Designation	Pay Matrix on financial upgradation	Date of MACP	Authority
1	Sh. Avanish Kumar Sharma, Assistant	Level - 7	09-01-2018	SG's Letter No. C-1767/1902-MACP (Ministrial III) dated 26-03-2018

1. The pay of the above person will be fixed by the Head of Office.
2. The personal concerned is required to exercise an option for fixation of pay under FR 22(1)(a)(1) within one month.
3. The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the financial year 2018-2019 and debited to the appropriate Head of Account.

2. RETENTION IN GOVT. SERVICE

The Special Review Committee constituted in the Surveyor General's Office has approved the retention in Govt. Service of the following personal on attaining the age of 55 Years / Completion of 30 years qualifying Service as mentioned against his name:-

Sl No.	Name & Designation	Remarks	Authority
1.	Sh. Surender Pal Singh, D/Man Gde-II	On Completion of 30 years qualifying Service	S.G.'s letter No. C-1940 /854-R-(Punjab G.D.C.) Dt. 28-03-2018

3. Transfer/Posting

Following personnel has been transferred in/out as per details shown against their name :-

Sl. No.	Name & Designation	Present Posting	New Posting	Date of Relieving	Date of Joining	Authority
1.	Sh. R.M. Ghildiyal, Superintending Surveyor	PHC GDC, Chandigarh	HP GDC, Chandigarh	04-04-2018 (A/N)	-	S.G.'s LETTER NO. E1-1074/701 (Coll-73)DATED 21-02-2018
2.	Sh. V. Karuppasamy, Superintending Surveyor	HP GDC, Chandigarh	PHC GDC, Chandigarh	-	04-04-2018 (F/N)	S.G.'s LETTER NO. E1-1074/701 (Coll-73)DATED 21-02-2018
3.	Sh. Rajesh Kanga, Survey Assistant	PHC GDC, Chandigarh	National GDC, Dehradun	06-04-2018 (A/N)	-	S.G.'s LETTER NO.C-884/707 DATED 21-02-2018 and NO.C-1705/707 DATED 23-03-2018
4.	Sh. Ram Lal, Office Superintendent	PHC GDC, Chandigarh	J&K G.D.C.	06-04-2018 (A/N)	-	S.G.'s LETTER NO.C-1125/718-A DATED 28-02-2018 and NO.C-1811/718-A DATED 27-03-2018

13. Suspension

Shri Raj Kanwar Singh Malik, Security Supervisor of this GDC was placed under suspension w.e.f. 20-12-2017 vide Sub-Rule (1) of Rule 10 of the Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1965 vide this Centre Routine order No. **01** Dated **15-01-2018**.

On the recommendation of the Review Committee constituted vide S.G.O. Order No. Vig.-942/577-Misc Dated 22-02-2018 the said suspension of Shri Raj Kanwar Singh Malik, Security Supervisor is extended for a further period of 180 days or till the conclusion of the Disciplinary case against him which ever is earlier.

He will be entitled to subsistence allowance at an amount equal to the leave salary which he would have drawn if he had been on half average pay or on half pay and in addition D.A. etc. if admissible on the basis of such leave salary.

He will furnish a certificate each month as required under F.R. 53(2) to the effect that he has not been employed/engaged in any business, profession during his suspension.

(Authority : Director, Punjab, Haryana and Chandigarh G.D.C's Letter No. C-117 /3-A (R K S Malik) Dated 19-03-2018)

(**K. A. Grewal**) Lt. Col.
Director

Punjab, Haryana & Chandigarh, G.D.C

Distribution : As per Hindi Version